न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: **राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28/2025 उनवान मनोज कुमार बनाम रामधन वगैरह:**

मनोज कुमार ओझा पुत्र श्री महावीर प्रसाद ओझा, जाति ब्राह्मण, उम्र लगभग ५४ वर्ष, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रामधन पुत्र रामलाल, जाति खटीक, निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

2. महावीर प्रसाद ओझा पुत्र रामचन्द्र ओझा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

3. जसराज चौधरी पुत्र नाहरमल चौधरी, जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

4. प्रभूलाल पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

5. कैलाश पत्नि भागचन्द जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

6. मोती पुत्र धोकल जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

7. रतनी पत्नि कानाराम जाट जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

— 8. रतन पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

— 9. राधाकिशन पुत्र मूला जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

10. रामचन्द्र पुत्र मूला जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

11. रामधन पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

12. रामप्रताप पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

13. शैतान चौधरी पुत्र रामचंद्र चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

14. सुरेश जाट पुत्र रामचन्द्र जाट जाति जाट निवासी ग्राम पांण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

15. हीरा पुत्र धोकल जाति जाट निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

16. कमल पुत्र छीतर जाति जाट निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

17. घीसालाल पुत्र छीतर जाति जाट निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

18. प्रधान पुत्र छीतर जाति जाट निवासी ग्राम ढसूक, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

19. कालू पुत्र रामनाथ जाति बावरी निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

20. गोरधन पुत्र रामनाथ जाति बावरी निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

21. जमना पुत्री गांगला जाति बावरी निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

22. नोरती पुत्री हरजी जाति बावरी निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

23. पारस कुमार कासोटिया पुत्र मिठूलाल जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान

24. भागचन्द पुत्र गंगला जाति बावरी निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

25. भोली पुत्री गंगला जाति बावरी निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

26. राजेन्द्र कुमार पुत्र घीसा जाति रेगर निवासी ग्राम ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

27. शारदा पुत्री हरजी जाति बावरी निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

28. सुखराम पुत्र हरजी जाति बावरी निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

29. सजना पुत्री गंगला जाति बावरी निवासी ग्राम पाण्डरवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

30. तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 3/9/25

WD

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा एड्वोकेट ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 9.6.2025 को दर्ज रजिस्टर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी की वाके ग्राम पाण्डरवाडा, पटवार हल्का पाण्डरवाडा, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान स्थित कृषि खसरा संख्या 37 क्षेत्रफल 0.8090 हैक्टेयर कृषि आराजी में प्रार्थी सम्पूर्ण रकबा भूमि पर राजस्व रिकार्ड अनुसार एकल खातेदार, काबिज, काश्तकार है।

प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि पर बदस्तूर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है, तथा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थी की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है।

प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि जो निम्नानुसार स्थित है :–

(अ) कृषि भूमि खसरा संख्या 37 क्षेत्रफल 0.8090 हैक्टेयर :–

अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम ढसूक स्थित खसरा संख्या 1354 / 962 क्षेत्रफल 0.2023 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 962 क्षेत्रफल 0.8090 हैक्टेयर भूमि का रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 1354 / 962 एवं 962 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 37 के उत्तर दिशा में स्थित है।तथा अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पाण्डरवाडा स्थित खसरा संख्या 46 क्षेत्रफल 13.5184 हैक्टेयर भूमि का रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 46 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 37 के पूर्व दिशा में स्थित है।अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 15 ग्राम पाण्डरवाडा स्थित खसरा संख्या 45 क्षेत्रफल 19.1056 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 45 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 37 के दक्षिण दिशा में स्थित है। एवं अप्रार्थी संख्या 16 ग्राम पाण्डरवाडा स्थित कृषि भूमि खसरा 587 / 38 संख्या 0.7038 हैक्टेयर भूमि का रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 587 / 38 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 37 के दक्षिण–पश्चिमी कोने से लगती हुई है।तथा अप्रार्थी संख्या 17 व 18 ग्राम पाण्डरवाडा स्थित खसरा संख्या 38 क्षेत्रफल 2.4270 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 38 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 37 के पश्चिम दिशा में स्थित है।तथा अप्रार्थी संख्या 19 लगायत 29 ग्राम पाण्डरवाडा स्थित खसरा संख्या 36 क्षेत्रफल 0.7281 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 36 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 37 के पश्चिम दिशा में स्थित है। उक्त खसरा भूमि के खातेदार गोपाली पत्नि गंगला का स्वर्गवास होने से उसके पुत्र भागचन्द जो कि पूर्व से ही खातेदार संयोजित है को अप्रार्थी संयोजित कर दिया गया है तथा नाराणी पत्नि हरजी व घीसालाल हरजी का

WB

स्वर्गवास होने से उनके विधिक वारिसान् शारदा पुत्री हरजी व सुखराम पुत्र हरजी जो कि पूर्व से ही खातेदार संयोजित है को अप्रार्थी संयोजित कर दिया गया है।तथा प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 37 के पश्चिमी उत्तरी कोने से लगती हुई खसरा संख्या 34 किस्म गै.मु. हरडा भूमि है जो राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 29 की खातेदारी भूमियों के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करवायी जानी न्यायहित में आवश्यक है ताकि सीमाओं का विवाद निस्तारित हो सके। अप्रार्थी संख्या 30 राजस्व रिकार्ड संधारक है तथा राज्य सरकार का भू–अभिलेख प्रतिनिधि है इसलिये उपरोक्त सीमा विवाद एवं पत्थरगढी हेतु उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की वाके ग्राम पाण्डरवाडा, पटवार हल्का पाण्डरवाडा, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान स्थित कृषि खसरा संख्या 37 क्षेत्रफल 0.8090 हैक्टेयर की सीमाओं का भौतिक सत्यापन करवाकर, पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है ।

दिनाकं 27.6.2025 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 30 बावजूद तामिली के अनुपस्थित होने के कारण दिनांक 22.8.2025 को इनके के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई । दिनांक 3.9.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। हमारे द्वारा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की वाके ग्राम पाण्डरवाडा, पटवार हल्का पाण्डरवाडा, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अराई, जिला अजमेर राजस्थान स्थित कृषि खसरा संख्या 37 क्षेत्रफल 0.8090 हैक्टेयर कृषि आराजी का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/–रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3/9/25.........को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

<u>फर्द अहकाम</u>

<u>(नियम 26)</u>

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

- **मनोज कुमार ओझा पुत्र श्री महावीर प्रसाद ओझा जाति ब्राहमण आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य** **–वादी**

बनाम

- **रामधन पुत्र रामलाल जाति खटीक निवासी ग्राम ढसूक तह0अराई जिला अजमेर व अन्य।**
–प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111 व 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 28/ **2025**

ऑनलाइन नंबर **2025 / ....**

वकील वादीः– योगेश शर्मा **वकील प्रतिवादीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
9.6.25	**यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत** धारा 111 व 128 **भू0राजस्व अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन/रजि. डाक की जाकर पत्रावली दिनांक** 27/6/25 **...... को पेश हो।** (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **अरांई**	
27/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार................ दिनांक 22.8.25 को पेश हो।	
22.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। अप्रार्थीगण 1 लगायत 30 को तामिलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए। किन्तु अप्रार्थीगण आवाज दिलाई अनु०। अतः अप्रार्थीगण 1 लगायत 29 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली दिनांक 3.9.25 को पेश हो।	पत्रावली में राजस्व हित प्रभावित नहीं होते है। (हस्ताक्षर)
3.9.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय पृथक से तैयार किया जाकर P.T.O.	

शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो।
wp